रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254841
CG-DL-E-21062024-254841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2024/ज्येष्ठ 30, 1946
No. 2251] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2024/JYAISHTHA 30, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

का.आ. 2371(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1724 (अ), दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227 (थिरुचिरापल्ली से शुरू होने वाला राजमार्ग, लालगुडी, कल्लाकुडी, किझापालुर, उदयरपालयम, जयमकोंडाचोलपुरम, गंगाईकोंडाचोलपुरम, कट्टुमन्नारकोइल, कुमाराची को जोड़ने वाला और चिदंबरम पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार तमिलनाडू राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-227 (नया एनएच संख्या -81) के डिज़ाइन किलोमीटर 98.433 से किलोमीटर 129.965 तक मीनसुरूट्टी से चिदम्बरमकी 4.817 कि.मी. सड़क खंड की निवल लंबाई हेतु आधार दर के साठ प्रतिशत पर पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन खंड के उपयोग के लिए और 0.403 कि.मी लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और 26.312 कि.मी. लंबाई हेतु आधार दर के नब्बे प्रतिशत पर पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन बायपास खंड के उपयोग हेतु यांत्रिक

वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर और नीचे दिए गए सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों से शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

सारणी-2

शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चेनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
तमिलनाडु राज्य के कुड्डालोर जिले में कुरुंगुडी गांव के पास एनएच-227 के किमी 107.750 पर	4.817 (10 करोड़ से अधिक लागत की बाइपास लंबाई और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लागत के बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निवल बाइपास लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3

शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**बाइपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	**लागत (करोड़ रुपए में)**	
तमिलनाडु राज्य के कुड्डालोर जिले में कुरुंगुडी गांव के पास एनएच-227 के किमी 107.750 पर	कट्टुमन्नारकोइल संयुक्त बाईपास	डिज़ाइन किमी 103.250	डिज़ाइन किमी 129.965	26.312 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर	459.83	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%
	कुल (दो लेन)			**26.312**	**459.83**	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाज़ा का अवस्थान (चेनेज)	**सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
राज्य (तमिलनाडु) में एनएच-227 कुरुंगुडी गांव के किमी 107+750 पर	0.403	4.030	पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ब्योरा इस प्रकार है:

	चेनेज		**संरचना का प्रकार (दो लेन)**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	**किमी तक**		
1	107.284	107.346	बड़ा पुल	0.062
2	112.954	113.047	बड़ा पुल	0.093
3	119.022	119.115	बड़ा पुल	0.093
4	120.059	120.121	फ्लाई ओवर	0.062
5	122.889	122.982	बड़ा पुल	0.093
कुल				0.403

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष **2024-25** के लिए मासिक पास की दर **340.000/-** रूपए (तीन सौ चालीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
देय राशि	**अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैद्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम 10 के उप नियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और तदनुसार उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगातथा इसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 768.26 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने हैं। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. 11023/एनएच-227/20/वॉल्यूम-1/2023/पीआईयू-वीपीएम/1038/ई-233655]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2024

S.O. 2371(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1724 (E) dated the 06th October 2006, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted National Highway No. 227 (the highway starting from Thiruchirapalli, connecting Lalgudi, Kallakudi, Kizhapalur, Udaiyarpalayam, Jayamkndacholapuram, Gangaikondacholapuram, Kattumannarkoil, Kumaratchi and terminating at Chidambaram) in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column(2) of the Table 1 for net road section length of 4.817 km at sixty per cent of the base rate for use of two lane with paved shoulder section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.403 Km and at ninety per cent of the base rate for use of two lane with paved shoulder bypass section length of 26.312 Km on vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Meensurutti to Chidambaram from design kilometer 98.433 to kilometer 129.965 of National Highway number 227 (New No. NH-81) in the State of Tamil Nadu and authorise the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table -1	
Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) of Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely.

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 107.750 of NH-227 near Kurungudi village in Cuddalore District of Tamil Nadu State.	4.817 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table- 3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Name of The Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Km. 107.750 of NH-227 near Kurungudi village in Cuddalore District of Tamil Nadu State.	Kattumannarkoil Combined bypass	Design Km 103.250	Design Km 129.965	26.312 (Excluding Length of Structures > 60M)	459.83	90% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above.
	Total (2 Lane)			**26.312**	**459.83**	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table- 4			
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length of structures (in m) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At Km 107+750 of NH-227 Kurungudi village in State (Tamil Nadu)	0.403	4.030	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned inTable-1 above

The details are as under: -

Sl. No.	**Chainage (Km)**		**Type of Structure (2 Lane)**	**Length (in km)**
	From	**To**		
1	107.284	107.346	Major Bridge	0.062
2	112.954	113.047	Major Bridge	0.093
3	119.022	119.115	Major Bridge	0.093
4	120.059	120.121	Fly Over	0.062
5	122.889	122.982	Major Bridge	0.093
TOTAL				**0.403**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.340/- (Rupees Three Hundred and Forty Only) for the year 2024-25, and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5		
Amount Payable	**Maximum number of one-way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment.
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journey or more	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule1A of rule10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, and category of exempted vehicles, service road, alternative road, and etc. Shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 768.26 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. 11023/NH-227/20/Vol-1/2023/PIU-VPM/1038 /E-233655]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.06.21 19:32:06 +05'30'